



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार 6 अक्टूबर, 1989

आश्विन 14, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1915/सत्रह बि०-1-1 (क) 36-1989

लखनऊ, 6 अक्टूबर 1989

अधिसूचना

बिबिध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण को सूचना के इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 423/पांच-294-बी, दिनांक 26 सितम्बर, 1910 के साथ प्रकाशित यू० पी० एक्साइज कूल्स में अथवा संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अधिनियम, 1989 संक्षिप्त नाम कहा जायगा।

यू 0 पी 0 एक्ससाइज  
रूल्स के शीर्षक  
"फीस" के अन्तर्गत  
नियमावली के  
नियम 6 का  
संशोधन

2--राजस्व परिषद्, यू 0 पी 0 की अधिवृत्त संख्या-423/पांन-294-बी, दिनांक 26 सितम्बर, 1910 के साथ प्रकाशित यू 0 पी 0 एक्ससाइज रूल्स में, शीर्षक "फीस" के अन्तर्गत नियमों में, जैसा कि उत्तर प्रदेश आबकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, नियम 6 में, उप नियम (15) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायगा और 23 फरवरी, 1989 को बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

"(16) इस नियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी जहां वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिये आबकारी नीलामी इस नियमावली (शीर्षक "फीस" के अन्तर्गत) के अधीन की गयी तात्पर्यित है, वहां

(क) यदि वह 5 अगस्त, 1989 के पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गयी हो और उस व्यक्ति ने जिसके पक्ष में नीलामी की गयी थी, इस नियम के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति के बराबर धनराशि का, चाहे वह नकद या किसी अनुसूचित बैंक से बैंक ड्राफ्ट या सावधि जमा रसीद के रूप में हो और जो कलक्टर के नाम सम्यक् रूप से गिरवी रखी गयी हो, या बैंक गारंटी के रूप में हो, भुगतान 30 जून, 1989 को या इसके पूर्व कर दिया है तो ऐसा भुगतान इस नियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया गया और सविदा के सम्यक् पालन के लिये विधिमाम्य प्रतिभूति समझा जायगा मानो प्रतिभूति के भुगतान के लिये ऐसी रीति और समय सभी सारभूत समय पर उप नियम (8) और (9) में विहित थे ;

(ख) यदि वह आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रकार स्वीकार न की गयी हो तो नियम 7 के उपनियम (8) के खण्ड (ख) के उपबन्ध उस व्यक्ति पर, जिसके पक्ष में नीलामी की गयी थी, इस आधार पर कि उसने ऐसी नीलामी के संबंध में कोई व्यक्ति-क्रम किया है, लागू न होंगे।"

संशोधन या  
बिखण्डन करने  
की शक्ति

3--इस अधिनियम द्वारा उपान्तरित नियमावली तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की सुसंगत धारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके समुचित प्राधिकारी द्वारा संशोधित या बिखंडित न कर दी जाय।

निरसन और  
अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट नियमावली के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव।

No. 1915 (2) /XVII-V-1-1 (KA) 36-1989

Dated Lucknow, October 6, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Abkari Niyamavali. (San-shodhan) Adhinyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 20 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 1989.

THE UTTAR PRADESH EXCISE RULES (AMENDMENT) ACT, 1989

(U. P. ACT NO. 20 OF 1989)

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the U.P. Excise Rules published with the Board of Revenue, U. P. notification no. 423/V-294-B, dated September 26, 1910.

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या  
सन् 19

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise Rules (Amendment) Act, 1989. Short title

2. In the U. P. Excise Rules, published with the Board of Revenue, U.P. notification no. 423/V-294-B, dated September 26, 1910 in the rules under the heading "Fees" as substituted by the Uttar Pradesh Excise (First Amendment) Rules, 1984, in Rule 6, after sub-rule (15), the following sub-rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted on February 23, 1989, namely :—

Amendment of rule 6 of the rules under the heading "Fees" of the U.P. Excise Rules

"(16) Notwithstanding anything contained in this rule, where the Excise auction for the financial year 1989-90 purported to have been made under these rules (under the heading "Fees"),—

(a) has been finally accepted by the Excise Commissioner before August 5, 1989, and a person in whose favour the auction was made has paid an amount equivalent to the security required under this rule, whether in cash or by Bank draft or in the form of fixed deposit receipt from any Scheduled Bank duly pledged to the Collector or in the form of Bank guarantee, on or before June 30, 1989 such payment shall be deemed to be valid security for due performance of the contract paid within the time specified in this rule, as if such manner and time for payment of security were prescribed in sub-rules (8) and (9) at all material times ;

(b) has not been so accepted by the Excise Commissioner the provisions of clause (b) of sub-rule (8) of rule 7 shall not apply to the person in whose favour the auction was made, on the ground that he had committed any default relating to such auction."

3. The Rules modified by this Act shall continue in force until amended or rescinded by the appropriate authority in exercise of its power under the relevant section of the U.P. Excise Act, 1910 read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904. Power to amend or rescind

4. (1) The Uttar Pradesh Excise Rules (Amendment) Ordinance, 1989, is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Rules, referred to in section 2, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Rules, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
NARAYAN DAS,  
Sachiv.